



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 283 सन् 2026

रणवीर सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

राम कुमार पाल

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार पाल और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि पुलिस अधीक्षक, जिला फतेहगढ़ के दिनांक 26.11.2025 के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ रैंक के अधिकारियों (दंड और अपील) नियम, 1991 (संक्षेप में 'नियम, 1991) के नियम 20 के तहत अपील की जा सकती है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता अपील दायर करेगा, लेकिन इस बीच यह आदेश दिया जा सकता है कि कोई वसूली न की जाए।



4. न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता द्वारा 1991 के नियमों के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के बाद, वह प्रत्यर्थागण को राशि की वसूली से रोकने के लिए आवेदन कर सकता है।

5. उक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

14 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)